न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या–50 / 2017

श्री मूलाराम पुत्र श्री धन्ना, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सुरीमाता मानखण्ड, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्रीमति मधुबाला पत्नि श्री विष्णुकुमार, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम मेवदाकलां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी

.....**रेस्पोन्डेन्ट्स**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1– श्री मदनलाल गुर्जर, वकील प्रार्थी की ओर से।
2– श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक–24.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.01.2013 को उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्रीमति मधुबाला पत्नि श्री विष्णुकुमार, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम मेवदाकलां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मानखण्ड के आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये किन्तु वकील अप्रार्थिया संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.68 हैक्टर पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर विधि विरूद्व विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होने से तहसीलदार

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

केकडी द्वारा समय–समय पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जाती रही है। अतः प्रार्थी पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कराने का अधिकारी है। प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल किये बिना ही अप्रार्थिया संख्या 1 को भूमि का आवंटन कर दिया गया। वरवक्त आवंटन सन् 2010 से 2015 में श्रीमति हेमलता पत्नि श्री ओमप्रकाश शर्मा ग्राम पंचायत मेवदाकलां की सरपंच रही और अप्रार्थी संख्या 1 की देवरानी है जिसने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए राजनैतिक प्रभाव से आवंटन करवा लिया जबकि आवंटी विवादित आराजी स्थित स्थान की निवासी नहीं है एवं ना ही सद्भाविक काश्तकार है। साथ ही आवंटी के ससुर श्री शिवराज शर्मा की खातेदारी में पूर्व से ही भूमि चली आ रही है जिसमें आवंटी का भी हिस्सा होने से वरवक्त आवंटन अप्रार्थिया संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं थी। वकील प्रार्थी का आगे कथन है कि अप्रार्थिया संख्या 1 को विवादित आराजी का आवंटन करने से पूर्व सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई चूंकि वरवक्त आवंटन आराजी मौके पर रिक्त नहीं थी। विवादित आराजी के आवंटन के वक्त आवंटन सलाहकार समिति का कोरम भी पूर्ण नहीं था। इसके उपरान्त भी नियमों के परे जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं आवंटन नियमों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर आक्षेपीय आवंटन आदेश पारित कर दिया। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि का नियमन प्रार्थी के पक्ष में किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थिया संख्या 1 का कथन है कि अप्रार्थिया संख्या 1 द्वारा दिनांक 16.01.2013 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया था जिस पर विधिक रूप से पूर्ण जांच पश्चात आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा आवंटन से पूर्व व वरवक्त आवंटन नहीं था एवं न ही वर्तमान में है। उनका कथन है कि प्रार्थी एक ओर तो विवादित आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन कर रहा है एवं दूसरी ओर आराजी से बेदखल किये जाने का भी कथन कर रहा है जो कि विरोधाभासी है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा काश्त होना जाहिर होता हो। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0बी0जे0 (26) 2019 पेज 694 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थिया संख्या 1 के आवेदन पर पटवारी हल्का द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन किया जाकर आवंटी को कब्जा संभलाया गया। आवंटी आवंटित आराजी पर आवंटन के समय से अब तक मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है। उन्होने आगे कथन किया कि वरवक्त आवंटन श्रीमति हेमलता पत्नि श्री ओमप्रकाश शर्मा ग्राम पंचायत मेवदाकलां की सरपंच थी जो आवंटी के समाज की है। उनके द्वारा किसी प्रकार के राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया गया। अप्रार्थिया संख्या 1 भूमिहीन कृषक होने व विवादित आराजी मौके पर रिक्त होने से पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार जांच पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण कोरम में आक्षेपीय आवंटन आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थी का यह कथन गलत है कि आवंटी विवादित आराजी स्थित

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

स्थान की नहीं है बल्कि विवादित आराजी ग्राम मानखण्ड में स्थित है जो ग्राम पंचायत मेवदाकलां का ही ग्राम है व उसके लगता हुआ है, जबकि प्रार्थी ग्राम मानखण्ड का निवासी नहीं होकर ग्राम सुरीमाता का स्थाई निवासी है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थिया संख्या 1 के पति व ससुर के पास संयुक्त परिवार की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें उसके पति के हिस्से में 0.21 हैक्टर भूमि आती है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। अप्रार्थिया संख्या 1 के परिवार में कुल 9 सदस्य है। इस प्रकार आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आती हैं। अप्रार्थिया संख्या 1 के पास भूमि आवंटन के पश्चात भी नियम 12 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में दर्शाई गई भूमि से अधिक नहीं है। विवादित आराजी आवंटन से पूर्व पड़त एवं सिवायचक होने से आवंटन हेतु उपलब्ध थी जिसकी पटवारी हल्का द्वारा मौके व रेकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार भूमि आवंटन का आदेश पारित किया गया एवं कब्जा संभलाया गया जिस पर अप्रार्थिया संख्या 1 आज दिनांक तक काबिज काश्त चली आ रही है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2007(1) पेज 397 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं आर0आर0टी0 2007(2) पेज 1433 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में नियमों के अन्तर्गत पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर एवं कोरम पूर्ण होने के उपरान्त विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल कपट पूर्वक तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो अथवा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हो। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो कि आवंटिया द्वारा तथ्यों को छिपाकर छल कपटपूर्वक आवंटन करवाया हो अथवा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया हो। हम वकील अप्रार्थिया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से सहमत हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 16.01.2013 को ग्राम मानखण्ड के खसरा संख्या 65 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर